



राजस्थान-सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,  
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

दूरभाष सं० : 0141-2224878

क्रमांक: एफ040/एमएनजेवाई/बीएफसी/2014-15/ 520

ई-मेल: rmssc.mnjy@gmail.com

दिनांक: 31-12-14

अति-आवश्यक

प्रथम स्मरण पत्र

संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,  
राजस्थान।

विषय:-मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना अन्तर्गत आवंटित बजट के व्यय, उपयोगिता प्रमाण पत्र  
व डिमाण्ड राशि भिजवाने बाबत।

संदर्भ:-इस कार्यालय के पत्रांक 377 दिनांक 5.11.14 के क्रम में।

उपरोक्त संदर्भ एवं विषयान्तर्गत मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना अन्तर्गत समय-समय पर एवं  
डिमाण्डनुसार (12 प्रांट इन एड) एवं (18 मशीनरी एवं उपकरण) मद में बजट संलग्नानुसार आवंटित  
किया गया है।

आवंटित बजट के पेटे हुए व्यय राशि का माहवार विस्तृत विवरण तथा माहवार विस्तृत  
उपयोगिता प्रमाण पत्र (Utilization Certificate) संलग्न प्रपत्रों (प्रपत्र A, B) द्वारा बाहा गया था, परन्तु  
आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुई। साथ ही मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना अन्तर्गत प्रयोगशालाओं में  
राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम द्वारा क्रय कर भिजवाये गये तथा स्थानीय स्तर पर एवं पूर्व में उपलब्ध  
संचालित उपकरणों की सूची (प्रपत्र C) अनुसार भी प्राप्त नहीं हुई है। अतः तीन दिवस में उपरोक्त  
सूचनाएं संशोधित प्रपत्रों में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

इसके अतिरिक्त माह मार्च 2015 तक सविदा सेवाओं की व्यय राशि, उपकरणों के रिपेजेंट्स,  
कन्ज्यूमेबल्स आदि के क्रय हेतु डिटेल डिमाण्ड राशि भी भिजवाने का श्रम करें। जिससे डिमाण्ड राशि  
को आवंटित किया जा सके।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

निदेशक (जन स्वा0)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ04(76)/एमएनजेवाई/बजट आवंटन/2014-15/ 520

दिनांक: 31-12-14

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है।

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, धि0 एवं स्वा0 विभाग, जयपुर।
2. निजी सहायक, निदेशक (जन स्वा0), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर।
3. विलीय सलाहकार (मुख्यालय), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर।
4. परियोजना निदेशक, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना, जयपुर।
5. समस्त संयुक्त निदेशक (जोन) को भेजकर लेख है कि अपने जोन के अधीन चिकित्सालयों  
का प्राप्त बजट के पेटे हुए व्यय राशि तथा व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र विवरण  
अविलम्ब भिजवाने हेतु सुनिश्चित करावें।
6. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा0)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर



